संख्या- 12/2019/641/बयालिस-2019-71(विविध)/2015

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 19 मार्च, 2019**

विषय :- जनपद बलिया में स्पोर्टस कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1640/नि0 बलिया स्पो0 का0 पत्रा0/2018-19, दिनांक 05 मार्च, 2019 एवं शासनादेश संख्या- 2257/बयालिस-2016-71(विविध)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2017, शासनादेश संख्या- 680/बयालिस-2018-71(विविध)/2015, दिनांक 27 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या- 208/बयालिस-2019-71(विविध)/2015, दिनांक 28 फरवरी, 2019 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलिया में स्पोर्टस कालेज के निर्माण के सम्बन्ध में आंकलित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की धनराशि रू0 135.51 लाख (रू0 एक करोड़ पैतिस लाख इक्कावन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 रू0 135.51 लाख (रू0 एक करोड़ पैतिस लाख इक्कावन हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगा, जिसका उपयोग निर्माण इकाई द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्य मदों की मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(3)- प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(4)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- परियोजना की लागत में टाईम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (VII में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी ।

(7)- प्रायोजनान्तर्गत मूल शासनादेश संख्या- 2257/बयालिस-2016-71(विविध)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं शासनादेश संख्या- 208/बयालिस-2019-71(विविध)/2015, दिनांक 28 फरवरी, 2019 में उल्लिखित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(8)- प्रायोजना में प्रस्तावित जी0एस0टी0 की लागत को प्रभाग द्वारा फिलहाल अनुमन्य नहीं किया गया है, जोकि कार्यदायी संस्था द्वारा किये जाने वाले वास्तविक भुगतान के आधार पर नियमानुसार देय होगी। इस हेतु प्रायोजना को पुन: प्रभाग से परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(9)- प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित मिट्टी भराई की लागत रू0 4.75 लाख को यथावत अनुमन्य कर दिया गया है। परन्तु निदेशक खेल/कार्यादायी संस्था द्वारा अपने स्तर पर आश्वस्त होते हुए मिट्टी भराई का कार्य कराया जायेगा।

(10)- पुनरीक्षित आगणन का गठन वर्क डन एवं वर्क टू बी डन के आधार पर किया गया है, जिसमें वर्कडन के कार्यो की लागत वर्ष 2016 की अनुसूची दरों एवं वर्क टू बी डन के कार्यो की लागत वर्ष 2017-18 की जनपद की अनुसूची दरों तथा डी0एस0आर0-2016 के आधार पर किया गया है तथा जो दरें दर अनुसूची में नहीं है, उन्हें बाजार दरोंके आधार पर लिया गया है। प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण इसी के आधार पर किया गया है।

(11)- निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं एवं पर्यावरणीय किलयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(12)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॅरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(13)- प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(14)- प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(15)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल की होगी। स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(16)- वित्त विभाग के कार्यालय- ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17)- प्रशा0 विभाग द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2018-19 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

युवा सेवा-800-अन्य व्यय-81-जनपद बलिया में स्पोर्टस कालेज-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रविधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहें है।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 641(1)/बयालिस-2019-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
(2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
(3)- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, आजमगढ़ मण्डल।
(5)- जिला क्रीड़ाधिकारी, बलिया।
(6)- कार्यदायी संस्था, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(7)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(8)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(9)- नियोजन अनुभाग- 4
(10)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।